न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :— सुरेन्द्र सिंह खंगारोत, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः— 238 / 2025

प्रार्थी::—

पदमसिंह पुत्र वचनसिंह जाति राजपूत निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. सदरकंवर पत्नी सरदारसिंह जाति राजपूत
2. मीठाकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत
3. सूर्यवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत नाबालिंग होने से जरिये कुदरती वली माता मीठाकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी सरियदेवी नगर कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पादरू

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री गणपतसिंह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2

3 विप्रार्थी संख्या 1,3 से 5 एकपक्षीय

::आदेश::

दिनांकः— 30.04.2026

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख.सं. 55 रकबा 3.8137 हैक्टेयर भूमि ग्राम सरीयादेवी नगर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की बदिशा पूर्वी की ओर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 खातेदारी भूमि खसरा संख्या 67 सरहद मौजा सरियादेवी नगर से होते हुए आगे कटाण मार्ग सडक तक जाता है। प्रार्थी को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी सं. 1 से 3 के उक्त खेत में से [illegible] रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विक[illegible] और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। प्रार्थी संख्या 1 से 3 रा[illegible]नी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 से 5 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अंधिवक्ता श्री गणपतसिंह उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा सरियादेवी नगर तहसील सिवाना अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं 55 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं. 1 से 3 की खातेदारी भूमि ख.सं. 67 की बदिशा पूर्व पर प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते में प्रस्तावित भूमि, सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को देने हेतु सहमत है, प्रार्थी पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु उक्त रास्ता का उपयोग व उपभोग करता था, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब' में दर्शित ए,बी,सी,डी बरंग गुलाबी अनुसार गै.मु. रास्ता घोषित किया जावे।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बिन्दु संख्या पी.क्यू .आर अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 56 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तथा उक्त रास्ते की लम्बाई 193 मीटर है जबकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

मीटर है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौजूद है तो नई रास्ते घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया । तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बिन्दू संख्या पी.क्यू.आर. अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसकी लम्बाई 193 मीटर है प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता परिशिष्ट ''ब'' में दर्शित बिन्दू संख्या ए,बी,सी,डी की लम्बाई 225 मीटर है तथा परिशिष्ट ''अ'' में दर्शित बिन्दू संख्या पी.क्यू.आर. प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु निकटतम व लघुत्तम रास्ता है,परन्तु उक्त रास्ता वर्तमान में प्रचलित नहीं है, प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता की कुल लम्बाई 225 मीटर व विप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ते की कुल लम्बाई 193 मीटर है, जो प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते की लम्बाई 32 मीटर कम है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित है कि खसरा संख्या 55 में आवगमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है, मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''य'' अनुसार पूर्व में खातेदार काश्तकारो की सहमति से खसरा संख्या 67, 61, 60, 59, 57 व 52 में से होता हुआ मार्ग प्रचलन में था, जिसको वर्तमान में खसरा संख्या 67 व 56 के खातेदारो ने बन्द कर दिया है तहसीलदार रिपोर्ट से सपष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता पूर्व में प्रचलित थां जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी द्वारा किया जाता था तथा उक्त रास्ते को खसरा संख्या 67 व 56 के खातेदारो द्वारा बन्द कर दिया गया है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरीयादेवी नगर तहसील सिवाना की ख.सं. 55 में आवागमन हेतु विप्रार्थी सं 1 से 3 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 67 में से लम्बाई 225 मीटर चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा 0.0900 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में परिशिष्ट ''ब'' मे दर्शित बरंग गुलाबी बिन्दू संख्या ए,बी,सी,डी भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

.ालदार सिवाना द्वारा रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को दी जावे, विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा राशि लेने से इन्कार करने की स्थिति उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र क्रमांक–राजस्व/2026/35 दिनांक 07.01.2026 प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 30.04.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.05.20 13:44:00 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 03/01/2026 05:46:20 PM

जिला : बालोतरा

तहसील : सिवाना

भू. अ. नि. क्षेत्र : पादरू

पटवारी हल्का : कुण्डल

ग्राम : सरीयादेवी नगर

परिशिष्ट ब

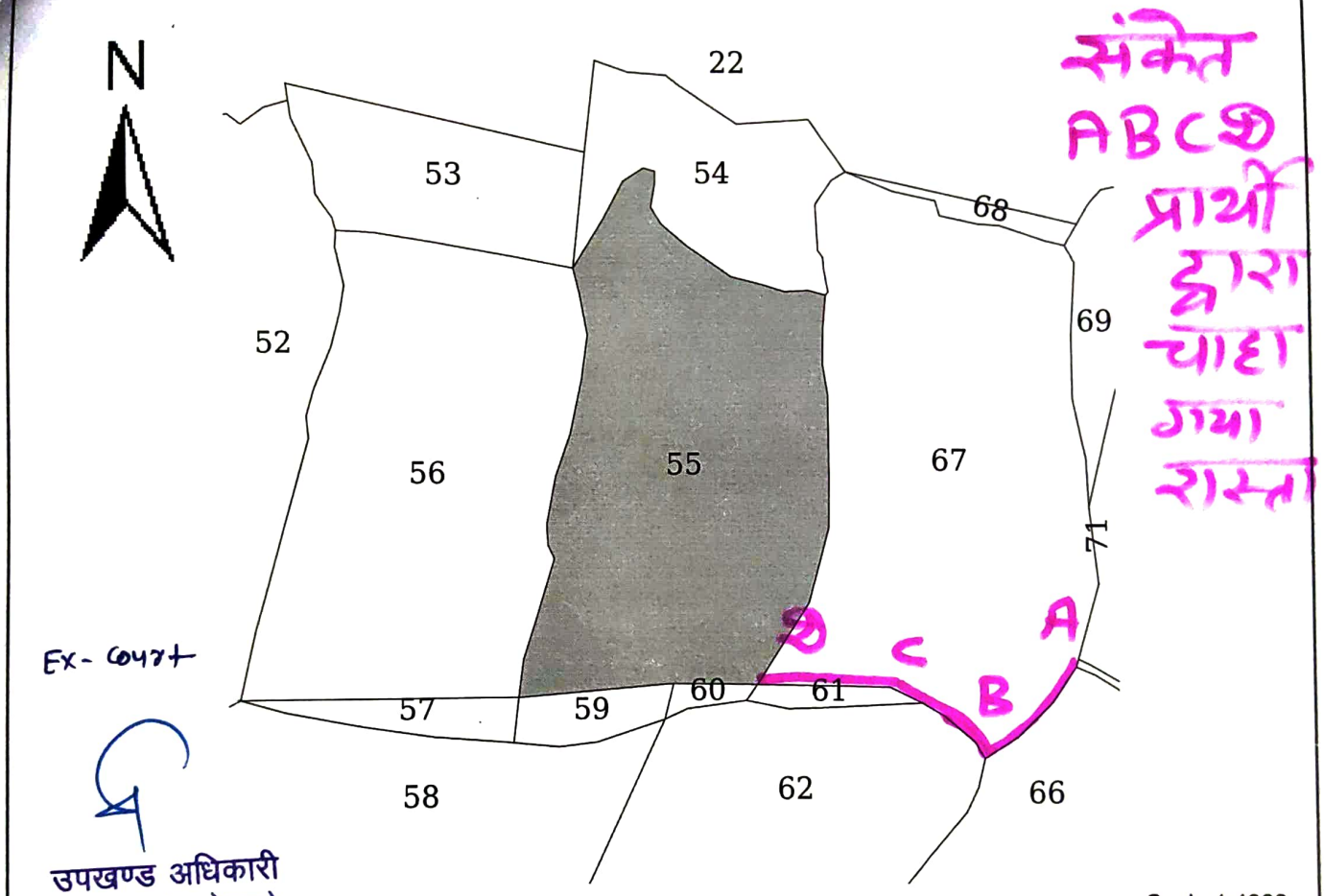

संकेत ABCD प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता

खसरा संख्या :55 क्षेत्रफल : 3.8197 Hectare खाता संख्या : 171पुराना खाता संख्या :186

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: धोरा [3.8197, 5.73]

1.) पदमसिंह पुत्र वचनसिंह हिस्सा- पूर्ण जाति- राजपुत सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा शाखा पादरू

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील 03.01.26

IR पादरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot

Date: 2026.01.05 20:13:44 IST

Reason: SelfAttested

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी।